# राजस्थान सरकार

# निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकःनर्सिंग/म.स्वा.का/सीधी–भर्ती 2018/ /2019/1463 दिनांकः 01.10.19

1. नीरज पुत्री रणजीत सिंह
   आईडी संख्या 4212218
2. मंजू कुमारी पुत्री रामेशवर लाल
   आईडी संख्या 4221096

विषयः महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती–2018 के संदर्भ में माननीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 11662/2019 दायर की है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 30.07.2019 को निर्णय पारित कर अन्य राज्य में एनएचएम योजना में संविदा पर कार्यरत् महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अनुभव के आधार पर बोनस अंक देते हुये माननीय न्यायालय के बिना इजाजत के परिणाम जारी नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये है, के क्रम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती–2018 के संदर्भ में दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको दिनांक 04.10.2019 को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (MNIT) में निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उपस्थित होना निर्धारित किया गया है।

अतः आप दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित मूल दस्तावेजो के साथ दिनांक 04.10.2019 को प्रातः 11:00 बजे मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (MNIT) में उपस्थित होवे।

शेष नियम व शर्ते यथावत लागू रहेगी।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःनर्सिंग/म.स्वा.का/सीधी–भर्ती 2018/ /2019/ दिनांकः

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. श्री संजय राजपाल, समन्वयक, एमएनआईटी, जयपुर को उक्त संबंध में हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
3. याचिकाकर्ताओं को रिट में दिये पते पर।
4. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर